



## -:- प्रेस नोट -:-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा० प्रीतिंदर सिंह महोदय कानपुर नगर द्वारा अपमिश्रित शराब की रोकथाम एवं अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर (दक्षिण) श्री दीपक भूकर व क्षेत्राधिकारी श्री विकास कुमार पाण्डेय महोदय गोविन्दनगर का०नगर के निर्देशन में दिनांक 22/23/8/20 की रात्रि में नवीन गल्ला मण्डी थाना नौबस्ता के सामने रात्रि में चिकिंग के दौरान ओमिनी मरूती वैन न० यू०पी० 78 डी०ई० 3398 से दो ड्रम केमिकल तथा केमिकल से तैयार की गयी अपमिश्रित शराब शील्ड पौवो में भर कर भारी मात्रा में शराब निर्यात करने हेतु ले जाते समय अभियुक्त 1- शुभम पटेल उर्फ भूरा 2- द्रुबेन्द्र सिंह उर्फ राजपूत सिंह 3-रोहित सचान को गिरफ्तार किया गया पूछताछ पर उनके द्वारा ग्राम खजूरिया थाना जहानाबाद के जंगल में एक ट्यूबबेल की कोठरी किराये पर लेकर वही पर अपमिश्रित शराब तैयार कर बिक्री करना बताया तथा भारी मात्रा में केमिकल व पैकिंग की हुई शराब तथा शराब बनाने एवं एल्कोहल मीटर रखा जाना बताया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम खजूरिया थाना जहानाबाद जाकर भारी मात्रा में केमिकल, पैक किये हुए शराब के पौवे, खाली बोतल, ढक्कन, रैपर, शराब नापने का एल्कोहल मीटर तथा अन्य उपकरण बरामद किये गये। अभियुक्तों द्वारा उक्त से सम्बंधित रैपर, बार कोड तथा ढक्कन अभियुक्त चन्दन नि० रेलबाजार द्वारा उपलब्ध कराया जाना बताया जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त चन्दन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रैपर व ढक्कन आदि बरामद किया गया। उक्त सन्दर्भ में थाना नौबस्ता पर मु०अ०सं० 812/20 धारा 420/467/468/471/120 B /257/258/272/273 भा०द०वि० एवं 60/63 आबकारी अधिनियम एवं 104 ट्रेडमार्क अधिनियम व 63 कॉपी राइट, 207 एम.वी. एक्ट पंजीकृत किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त चन्दन वर्ष 2019 में थाना बाबू पुरवा कानपुर नगर से एस.टी.एफ द्वारा इसके 13 साथियों के साथ भारी मात्रा में रैपर व बारकोड तथा ढक्कनो के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था

**नाम पता अभियुक्त –**

1. शुभम उर्फ भूरा पुत्र रघुवीर पटेल नि० मिर्जापुर थाना चादपुर जिला फतेहपुर
2. द्रुबेन्द्र सिंह उर्फ राजपूत सिंह पुत्र रामबरन सिंह नि० बरमौला थाना माखी जनपद उन्नाव
3. रोहित सचान पुत्र दुजेन्द्र सिंह नि० प्लाट नं. 5 हरदेव नगर थाना बर्रा कानपुर नगर
4. चन्दन जोशी पुत्र सग्रांम जोशी नि० 115 न० हाता जी.टी. रोड थाना रेलबाजार कानपुर नगर



शुभम पटेल उर्फ भूरा



द्रुबेन्द्र सिंह उर्फ राजपूत सिंह



रोहित सचान



चन्दन जोशी

## बरामदगी –

1. अपमिश्रित शराब 83 पेटी -3735 पौवा कीमत लगभग तीन लाख रुपये
2. केमिकल सफेद 7 ड्रम कुल 1225 लीटर कीमत लगभग बारह लाख रुपये
3. खाली बोतल तीन झाल कुल 6600 पीस
4. रैपर 5531
5. ढक्कन 1443
6. बार कोड एक बण्डल
7. रंग दो डिब्बा
8. हथौडी एक
9. कंघी आठ पीस
10. खाली सीसी रैपर व ढक्कन लगा हुआ दो बोरी
11. टेप -1
12. लोहे की टी -1
13. खाली ड्रम ढक्कन कटा हुआ -1
14. एल्कोहल मीटर -1
15. मारूती ओमनी वैन -1
16. मोबाइल फोन -4 अदद

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक कुन्ज बिहारी मिश्रा थाना नौबस्ता कानपुर नगर
2. वरिष्ठ उ.नि. श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी थाना नौबस्ता कानपुर नगर
3. उ0नि0 उमेश कुमार मिश्रा थाना नौबस्ता कानपुर नगर
4. का0 2580 कमलकान्त थाना नौबस्ता कानपुर नगर
5. का0 4057 लाखन सिंह थाना नौबस्ता कानपुर नगर
6. का0 3155 बृजेश कुमार थाना नौबस्ता कानपुर नगर
7. का0 3216 राजीव कुमार थाना नौबस्ता कानपुर नगर
8. का0 5291 श्याम सुन्दर थाना नौबस्ता कानपुर नगर
9. का0 312 आदेश कुमार थाना नौबस्ता कानपुर नगर
10. का0चा0 1678 धर्मवीर थाना नौबस्ता कानपुर नगर